



नवीन प्रभाण - 113/13

569

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2012 निगरानी - R 113 - PB2/13

नहीं भौतिक दस्तावेज़
दिनांक 7-1-13 का

छल/ SCC
7-1-13

Presented by me
✓ S.H.

Visited Shrivardhan
H.P. 7-1-2013

गोपनीय

1. अजब सिंह पुत्र गणेशराम रघुवंशी आयु 55 साल निवासी ग्राम कनारी तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

2. कोक सिंह पुत्र दीवान सिंह खंगार आयु 50 साल निवासी ग्राम कनारी तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

प्रीतम पुत्र गुलाब निवासी ग्राम कनारी तहसील व जिला विदिशा

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा 18/ 2007 – 08 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.09.2012 से परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत है।

महोदय,



आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत

, है:-

- यहकि, विवादित भूमि स्थित ग्राम कनारी सर्वे क्रमांक 78 रकवा 0.200 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 335/ 2 रकवा 1.820 हेक्टर ~~कुल~~ कुल रकवा 2.020 हेक्टर पर अनवोदक द्वारा कब्जा दिलाए जाने संबंधी आवेदन न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार विदिशा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे प्रकरण क्रमांक 5/ अ- 70/ 2006- 07 के अंतर्गत दर्ज किया गया। आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 32 म.प्र. भू

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-113-पीबीआर/13

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१९.१२.१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५.४.१९ को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">M/✓</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> <p style="text-align: center;">(3)</p>	